Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Anganbari Appeal Case No.-17/2025]

Nutan Kumari & Others.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar .....Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.1.2026	**आदेश** यह आँगनबाड़ी अपील वाद Petitioners के द्वारा सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद पर प्रोन्नति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति, सुपौल के आदेश दिनांक-16.1.2025 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-09.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, सुपौल की ओर से जवाब दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रस्तुत अपील वाद का Issue in Question यह है कि समाहरणालय सुपौल के विज्ञापन संख्या-4/2024 के आलोक में Petitioners महिला पर्यवेक्षिका के प्रोन्नत पद पर नियोजन हेतु बोनस अंक प्राप्त करने के लिए सेविका के पद पर निरंतर 10 वर्षो के सेवा पूर्ण करने की अर्हता धारित करते हैं अथवा नहीं। Petitioners के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि Petitioners के उक्त पद पर प्रोन्नति हेतु 10 वर्ष से अधिक के सेवा का अनुभव प्रमाण-पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है। तथा यह कि औपबंधिक मेधा सूची में Petitioners को बोनस अंक दिया गया था। किंतु अंतिम मेधा सूची में बोनस अंक को नहीं जोड़ा गया जो गैरकानूनी है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, सुपौल के पत्रांक-924/जि.प्रो., दिनांक-28.6.2025 से प्रतिवेदित किया गया है कि के आवेदिका संख्या-01 नूतन कुमारी द्वारा विभिन्न कालखंडों को मिलाकर सेवा काल के अवधि 14 वर्ष 10 माह 14 दिन, आवेदिका संख्या-02 सरिता उर्वशी द्वारा 16 वर्ष 03 माह 25 दिन, आवेदिका संख्या-03 सोनम कुमारी द्वारा 10 वर्ष 08 माह 01 दिन, आवेदिका संख्या-04 तमन्ना खातून द्वारा 13 वर्ष 08 माह 17 दिन एवं आवेदिका संख्या-05 नासिया जर्रीन द्वारा 15 वर्ष 06 माह 25 दिन की सेवा पूर्ण की गयी है। परंतु निरंतर 10 वर्षो की सेवा आवेदिकाओं के द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सेवा काल का बोनस अंक उनके मेधा सूची में नहीं जोड़ा गया। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1846, दिनांक-10.06.2010 से समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदो पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु प्रकाशित मार्गदर्शिका में ऑगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अनिर्वाय अर्हता न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण एवं चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्य काल पूर्ण होना अनिवार्य है। विभाग द्वारा निर्गत	

21.1.2026

मार्गदर्शिका में सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद पर नियोजन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए ही 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिये जाने का प्रावधान है एवं यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। आवेदिकाओं द्वारा 10 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण नहीं किये जाने के कारण 10 बोनस अंक उनके मेधा अंक में नहीं जोड़ा गया। तथा यह कि उक्त गणना संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं कागजातों से यह स्थापित होता है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1846, दिनांक-10.6.2010 से समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदो पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु प्रकाशित मार्गदर्शिका कि कंडिका-5(ड़) के आलोक में Petitioners के द्वारा सेविका के पद पर कार्य किये गये अवधि के आधार पर बोनस अंक का दावा नियमानुकूल नहीं है। चूँकि Petitioners की ओर से निरंतर 10 वर्ष कार्य किये जाने के संबंध में कोई अकाट्य साक्ष्य अथवा वैधानिक बिन्दु सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः उपरोक्त स्थिति में सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति हेतु जिला स्तरीय चयन समिति, सुपौल के आदेश दिनांक-16.01.2025 के विरूद्ध Petitioners की ओर से दायर इस अपील आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें।

Priya K.
21/1/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।
Priya K.
21/1/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल सहरसा।